न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **119/2019 (61/2014)**
GCMS No. : **2014/00190**

–:: वादीगण ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण::–

1. सायरी पुत्री पूसाराम पत्नी बींजाराम जाति–मेघवाल निवासी– बलूपूरा तहसील जैतारण जिला–पाली।
2. गजराई पुत्री पूसाराम पत्नी भंवरूराम जाति– मेघवाल निवासी– रूपनगर तहसील जैतारण जिला–पाली।

बनाम

1. छोटूराम पुत्र मोहनराम
2. केलकीदेवी बेवा नारायण जातियान– मेघवाल, निवासी– राबडियावास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
3. तहसीलदार जैतारण जिला–पाली।
4. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला–पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. एवं धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(3) सी.पी.सी. 'वाद अबेट किये जाने बाबत्'

तारीख रजू:–23/09/2019

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 06/01/2022**

वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 का पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01 छाटूराम पुत्र मोहनराम का देहान्त 02 वर्ष पूर्व हो गया है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 छोटूराम के निम्नलिखित कायम मुकामान है– 01. सीता देवी पत्नि छोटूराम 02. रामेश्वर पुत्र छोटूराम 03. परमेश्वर पुत्र छोटूराम जातियान मेघवाल निवासीगण राबड़ियावास तहसील जैतारण जिला पाली 04. लीला देवी पुत्री छोटूराम पत्नि बंशीलाल जाति मेघवाल निवासी निम्बोल तहसील जैतारण 05. कसिया देवी पुत्री छोटूराम पत्नि कैलाश निवासी मेसिया बूटिवास तहसील रायपुर 06. सुरमा पुत्री छोटूराम पत्नि सुभाष निवासी लिखमणिया तहसील जैतारण 07. किरण पुत्री छोटूराम पत्नि श्यामलाल निवासी बलाड़ा तहसील जैतारण, उपरोक्त सभी मृतक छोटूराम के विधिक वारिसान है। वादीया दोनों ही ग्रामीण प्रवेश की अनपढ़ महिला है तथा समय–समय पर तारीख पेशी पर न्यायालय [illegible] थी तथा प्रतिवादी छोटूराम के फौत होने की सूचना भी वादीगण [illegible] हो पाई थी। दिनांक 11.12.2019 को वादीया गजराई [illegible] अपने गांव राबड़ियावास गई जिस पर छोटूराम के फौत होने की जानकारी [illegible] स्वयं को भी [illegible]राम के फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

होने की जानकारी नहीं थी। इस कारण से प्रतिवादी संख्या 01 छोटूराम के फौत होने की सूचना भी वादीगण अपने अधिवक्ता को जानकारी के अभाव में नहीं दे पाई है। दिनांक 11.12.2019 को वादीया गजराई देवी गांव राबडियावास गई एवं छोटूराम के फौत होने की जानकारी मिलने के बाद दिनांक 16.12.2019 को जैतारण जाकर अपने अधिवक्ता को छोटूराम के फौत हो जाने की सूचना दी जिस पर जानकारी के समय से अन्दर म्याद यह प्रार्थना पत्र पेश है। धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान को, प्रार्थना-पत्र को अन्दर म्याद सुमार कर, वादपत्र में रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम, 1963 अधिवक्ता वादीगण की ओर पेश कर निवेदन किया कि वादीया दोनो ही ग्रामीण प्रवेश की अनपढ महिला है तथा समय पर तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाई थी तथा प्रतिवादी छोटूराम के फौत होने की सूचना भी वादीगण को नहीं हो पाई थी। दिनांक 01.07.2019 को वादीया गजराई देवी अपने गांव राबडियावास गई जिस पर छोटूराम के फौत होने की जानकारी हुई, इस कारण से प्रतिवादी संख्या 01 छोटूराम के फौत होने की सूचना वादीगण अपने अधिवक्ता को जानकारी के अभाव में नहीं दे पाई है। दिनांक 11.12.2019 को वादीया गजराई देवी गांव राबडियावास गई एवं छोटूराम के फौत होने की जानकारी मिलने के बाद दिनांक 16.12.2019 को अपने अधिवक्ता को छोटूराम के फौत होने की सूचना दी। इस प्रकार से वादीगण को छोटूराम के फौत होने की जानकारी दिनांक 11.12.2019 की अवधि को अन्दर म्याद शुमार करते हुये वादीगण के इस म्याद के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुये मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. को अन्दर म्याद शुमार कर स्वीकार फरमावें।

वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(3) सी.पी.सी. वादपत्र अबेट किये जाने बाबत् का पेश कर निवेदन किया कि उक्त उनवान के प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 छोटूराम की मृत्यु दिनांक 23.05.2014 को गांव राबडियावास में हो चुकी है तथा जिसकी मृत्यु बाबत् जानकारी वादीगण को लोक अदालत के नोटिस 19.02.2016 को फौत के अंकन से हो गई थी, जो न्यायालय आदेशिका से साबित है। वादीगण ने मृत्यु दिनांक 23.05.2014 व जानकारी 19.02.2016 के 03 वर्ष 02 माह पश्चात् प्रा.पत्र पेश किया है। जो पोषणीय नहीं है। वादीगण का वाद समयावधि में वारिसान को रेकर्ड पर नहीं लिये जाने के कारण स्वतः अबेट/रद्द हो चुका है। उसके लिए न तो प्रा.पत्र पेश करने की आवश्यकता है न ही सूचना की तथा वादीगण ने वाद पत्र एबेटमेन्ट सटेसाईड का प्रा.पत्र आज दिन तक पेश नहीं किया है। जब वाद-पत्र अबेट हो चुका [illegible] 04 सी.पी.सी. के प्रावधान कानूनन लागू नहीं होंगे व [illegible] सेटेसाईड का पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जाना चाहिए था। परन्तु वादीगण ने ऐसा कोई प्रा.पत्र पेश नहीं किया है व वाद में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हित, अधिकार समान है। जिन्हें पृथक–पृथक विचारण नहीं किया जा सकता है। इस कारण वादीगण का पूर्ण वाद रद्द (अबेट) फरमावे।

वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में दर्ज कथनों का जबाब है कि वादीगण ने छोटूराम की मृत्यु किस तिथी मिति वर्ष, महीनों में हुई नहीं बताया, न ही प्रार्थना–पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किया, मात्र प्रार्थना–पत्र को अन्दर म्याद लेने की गरज से दिनांक 11.12. 2019 को गजराई अपने गांव राबडियावास जाने पर हुई के कथन गलत, झूठे अंकित किये, जबकि छोटूराम की मृत्यु दिनांक 23.05.2014 को गयी जो प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र से साबित है। वादीया द्वारा मात्र अपने प्रा.पत्र में ग्रामीण, अनपढ होने, समय–समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकी के कथन प्रा.पत्र को म्याद में लेने बाबत् किये जो कानूनन वादीगण की मदद नहीं करते "Ignorance of Law can not be sufficient cause", न्यायालय उसी व्यक्ति की मदद करता है जो जागता है। म्याद अन्दर शुमार हेतु प्रत्येक समुचित, अच्छा व प्रर्याप्त कारण दर्शित करना चाहिये। इन कारणों से वादीगण का प्रा.पत्र पोषणीय नहीं है। वादीगण प्रार्थना–पत्र निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने के कारण वादीगण का वाद स्वतः अबेट हो चुका है तथा वादीगण द्वारा केवल प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा है। शेष प्रतिवादी प्रफोमा पक्षकार है अन्य के विरूद्ध न तो विनाय वाद है व अनुतोष है। वादीगण ने ऐबेटमन्ट सेटासाईड का कोई प्रा.पत्र पेश नहीं किया तो केवल आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. व धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत अबेट हो चुके वाद में पक्षकार संयोजित करने का प्रावधान नहीं है वादीगण का वाद अबेट होकर स्वतः खारिज हो चुका है। वाद में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। वादीगण के वाद को अबेट करने बाबत अलग से प्रा.पत्र पेश है।

वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 05 म्याद अधिनियम, 1963 का जबाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 11.12.2019 को गांव राबडियावास जाने पर छोटूराम की मृत्यु की जानकारी होने के कथन गलत, झूठे मनमाने अंकित किये है व मात्र प्रार्थना–पत्र को अन्दर म्याद शुमार लेने की नियत से लिखे है। वादीया ने छोटूराम की मृत्यु होने बाबत् न तो ग्राम पंचायत राबडियावास से नियुक्त रजिस्ट्रार का प्रमाण–पत्र पेश किया व न ही अपने प्रार्थना–पत्र में छोटूराम किस वर्ष महिना वार मिति तिथी सम्वत् में मृत्यु हुआ का कोई दस्तावेजात भी पेश किया, अपने प्रार्थना–पत्र को म्याद में शुमार होने बाबत् अच्छे समुचित प्रर्याप्त कारण भी दर्शित नहीं किये। अतः जबाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(3) सी. पी.सी. का जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी छोटूराम की मृत्यु से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नही किया तथा राजस्व केम्प राबड़ियावास में वादीगण द्वारा जो आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये है। उसमें वादीगण अनपढ़ महिलाये है तथा इनको कानूनी जानकारी नही थी। इसलिये अपने अधिवक्ता को छोटूराम की मृत्यु की सुचना समय पर नहीं दी गई थी। मृत्यु की जानकारी होते ही वादी अधिवक्ता द्वारा पक्षकार को सूचित कर उसके द्वारा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र तथा धारा 05 म्याद अधिनियम का पेश किया गया है। उक्त वादपत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है एवं हक अधिकारों से सम्बन्धित है। तथा किसी भी प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधारो पर नही किया जाकर के न्यायिक निस्तारण किया जाना चाहिये। अतः प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 22 नियम 4(3) सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो सारहीन एवं काबिल खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

बहस विद्वान वकुलाय की प्रार्थनापत्र पर सुनी गई। पत्रावली व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से अपनें पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टाँत प्रस्तुत किए गए :-

1. RLW 2014(1) RJ Page no 356
2. RLW 2013(2) RJ Page no 1072

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से अपनें पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टाँत प्रस्तुत किए गए :-

1. RBJ (26) 2019 Page no 261
2. DNJ 2010(3) Page no 1195
3. RLW 2001(1) Page no 427
4. DNJ 2012(3) Page no 1715
5. DNJ 2010(SC) Page no 849

अधिवक्ता वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया व हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। वाद-पत्र, प्रार्थी का हस्तगत प्रा.पत्र एवं संगत विधिक प्रावधानों एवं उपलब्ध दस्तावेजात के अध्ययन, अवलोकन से हम हस्तगत प्रकरण में दिनांक 16.12.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 निमय 4 सी.पी.सी. में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के बिंदु को विवेचित एवं निर्णित करना आवश्यक समझते है, जो निम्नानुसार है-

1. हस्तगत प्रकरण की पत्रावली एवं आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा दिनांक 16.12.2019 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. मय धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र में यह कथन किये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कि प्रतिवादी संख्या 1 छोटूराम पुत्र मोहनराम का देहान्त 2 वर्ष पूर्व हो गया है। वादिया दोनों ही ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है तथा समय-समय पर तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाई थी। जानकारी के अभाव में प्रतिवादी के फौत की सूचना अधिवक्ता को नहीं दे पाई। दिनांक 11.12.2019 को गांव आने पर दिनांक 16.12.2019 को अपने अधिवक्ता को प्रतिवादी छोटूराम के फौत होने की सूचना दी। अतः वादीगण को छोटूराम के फौत होने की जानकारी मिलने तक की अवधि को अन्दर म्याद शुमार करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान को वाद-पत्र में रिकर्ड पर लिया जावे।

2. हस्तगस्त प्रकरण में प्रतिवादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए अपने जवाब में यह कथन किये कि प्रतिवादी छोटूराम की मृत्यु 23/05/2014 को हो गई थी। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अन्दर म्याद शुमार हेतु समुचित, अच्छे व पर्याप्त कारण दर्शित किये जाने चाहिए थे। वादीगण द्वारा प्रतिवादी छोटूराम की मृत्यु किस तिथि को हुई को अंकित नहीं किया एवं प्रार्थना-पत्र को म्याद शुमार हेतु प्रत्येक दिन का देरीना का कारण के साथ अच्छे समुचित कारण भी दर्शित नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा दिये गये कारणों से वादीगण का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं है। निर्धारित समयावधि में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करने से वादीगण का वाद स्वतः ही अबेट हो चुका है। अन्य प्रतिवादी से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः अबेटमेन्ट सेटअसाइड प्रार्थना-पत्र के अभाव में वादीगण का वाद स्वतः ही खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज फरमावें।

3. परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के 'तृतीय खण्ड-आवेदन' के भाग एक-विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन में किसी मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की म्याद यथास्थिति प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की दिनांक से 90 दिन विहित की गई है। इसी अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत यदि प्रार्थी विलंबकाल के लिए पर्याप्त हेतुक प्रस्तुत करते हुए न्यायालय का समाधान कर देता है तो ऐसी कतिपय स्थिति में विलंब काल को कंडोन करते हुए विहित काल के पश्चात् भी प्रार्थना-पत्र/आवेदन ग्रहण किया जा सकते है।

4. पत्रावली मय आदेशिका, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली मय उपलब्ध प्रतिवादी संख्या 1 छोटूराम के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति के अनुसार छोटूराम की मृत्यु दिनांक 23/05/2014 को गई थी। हस्तगत प्रकरण की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक [illegible] में प्रतिवादी संख्या 01 के फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

होने के अंकन के साथ वादी अधिवक्ता द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु समय चाहा गया था। तत्पश्चात् आदेशिका दिनांक 03/10/2017 को अधिवक्ता वादीगण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर करते हुए कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहते हुए नोटेड किया गया। नोटेड करवाने के बाद भी वादी अधिवक्ता द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु पेशी दर पेशी समय चाहने के पश्चात् लगभग 02 वर्ष 02 माह की देरी से दिनांक 16/12/2019 को प्रतिवादी छोटूराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं हस्तगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत किया।

अतः हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 01 छोटूराम के फौत की सूचना न्यायालय में दिनांक 09/09/2016 को ही हो गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 03/10/2017 को वादीगण अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर नोटेड भी किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 01 के फौत होने की सूचना होने के बावजूद दीर्घ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 16/12/2019 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध छोटूराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र में छोटूराम की मृत्यु की दिनांक 23/05/2014 का अंकन है जबकि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में दिनांक 16/12/2019 प्रतिवादी संख्या 01 के 2 वर्ष पूर्व फौत होने का अंकित किया हे। साथ ही वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र में वादीगण/प्रार्थीगण को प्रतिवादी के फौत होने की सूचना की दिनांक व अन्य वर्णित दिनांकों में भी अस्पष्टता है एवं इति दिनांक एवं अन्य दिनांकों में भी आत्म विरोधाभास प्रकट होता है।

5. प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में किये गये कथन कि गांव जाने पर प्रतिवादी के फौत होने की सूचना दिनांक 11/12/2019 को प्राप्त होने पर अधिवक्ता को जानकारी दी गई किसी भी रूप में स्वीकार एवं विश्वास योग्य नहीं है जबकि आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/वादीगण अधिवक्ता की भली भांति जानकारी होने के बावजूद दीर्घ समय व्यतीत होने के पश्चात् भी कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में प्रतिवादी छोटूराम की मृत्यु दिनांक का अंकन भी नहीं किया गया है।

6. वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें हस्तगत प्रकरण पर हुबहू चस्पा नहीं होती है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है– ...J 2012(3) ***Page no 1715*** Civil Procedure Code, 1908 – Order 22, Rule 4 – Abatement – Defendant 'R' died

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

on 13.8.2007 – Application filed for substitution of LR's on 16.4.2009 – Application dismissed – No application filed within limitation – Abatement is automatic without any specific order – Held, Application rightly rejected. ***DNJ 2010(3) Page no 1195*** Civil Procedure Code, 1908 – Order 22 Rule 9(2) &3 – Limitaion Act, 1963 – Section 5 – Suit for specific performance of an agreement – Application to set aside the *ex parte* decree filed by appellants father who died in the year 2002 – Respondent's father also died on 5.2.2003 – Application become abated on 21.3.2003 – Application filed to set aside the abatement and for substitution of LR's – Dispute for agriculture land – Reason given by the appellants that they were unware of the litigation – Held, Application rightly dismissed. ***RBJ (26) 2019 Page no 261*** CIVIL PROCEDURE CODE 1908- Order 22 Rule 4- When LR's of the deceased defendant were not brought on record within 90 days even after the information before the court about the death of defendant by the counsel of the defendant suit will abate. ***DNJ 2010(SC) Page no 849 (B)*** Civil Procedure Code, 1908 – Order 22, Rule 9 – Death of appellant plaintiff – No application filed within limitation - Delay of 778 days – Abatement is automatic and no specific order is required: [Para 9] उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हुबहू चस्पा होते है।

7. वादीगण के यह कथन कि दोनों ही ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है तथा छोटूराम की फौत की सूचना अपने अधिवक्ता को नहीं दे पाई। जबकि आदेशिका दिनांक 09/09/2016 से ही वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 01 के फौत की सूचना थी। अतः लगभग 3 वर्ष 3 माह के विलंब से कायम मुकाम प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसके विलंब का कोई तर्क-संगत एवं विश्वास योग्य कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वादीगण मय अधिवक्ता का वाद की कार्यवाही के प्रति घोर उदासीनता व लापरवाही प्रदर्शित होती है। अतः उक्त विलंब काल को माफ किया जाना विधि संगत एवं उचित नहीं होगा।

8. न्यायालय हाजा द्वारा अधिवक्ता वादी को मृतक प्रतिवादी छोटूराम के कायम मुकाम बाबत् प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही वादी अधिवक्ता ने दिनांक 03/10/2017 को आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कायम मुकाम प्रार्थना-पत्र पेश करने हेतु नोटेड किया गया था। इसके बावजूद अधिवक्ता वादी द्वारा नोटेड करने के पश्चात भी दिनांक 03/10/2017 से 16.12.2019 तक की अवधि 02 वर्ष 02 माह

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

तक उक्त निर्देश की जानबूझ पर तकमील नहीं की गई थी। अतः वाद-पत्र अदम तकमील में खारिज किया जाना विधि संगत होगा।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रतिवादी छोटूराम के फौत का भली-भाँति संज्ञान होने के बावजूद आदेशिका दिनांक 09/09/2016 से 16/12/2019 तक लगभग 03 वर्ष 03 माह के दीर्घ विलंब से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने, मृतक छोटूराम की मृत्यु दिनांक के संबंध में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा कोई अंकन नहीं करने, दीर्घ विलंब काल के लिए कोई पर्याप्त, विश्वसनीय एवं युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं करने, वादीया ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला होने व समय-समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व अधिवक्ता को जानकारी नहीं दे पाने जैसे कारण विश्वसनीय एवं युक्तियुक्त नहीं होने के कारण एवं वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही के दौरान आवश्यक सजगता एवं पर्याप्त सावधानी का परिचय देने के स्थान पर अत्यंत लापरवाही एवं वाद की कार्यवाही के प्रति उदासीनता प्रकट करता है। इससे वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा न्यायालय का कीमती समय भी बेवजह जाया किया गया है। किसी भी वाद-पत्र के सम्यक् एवं यथासमय संचालन की सर्वप्रथम जिम्मेदारी वादीगण की होती है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब काल को धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत माफ किया जाना विधि-संगत एवं न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अतः हम प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

विलंब काल माफ नहीं होने से वादीगण/प्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. दिनांक 16/12/2019 विहित परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के 'तृतीय खण्ड-आवेदन' के भाग-एक – विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन में किसी मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की परिसीमा यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन रहेगा। साथ ही इसके फलस्वरूप चुंकि वादीगण का वाद-पत्र कानूनन अबेट (उपशमित) हो चुके होने से एवं वाद के स्वतः अबेटमेन्ट होने से परिसीमा अधिनियम, 1963 में विहित 60 दिवस की अवधि के भीतर एवं आज दिनांक तक भी वाद-पत्र अबेटमेन्ट सेट असाइड (set aside) हेतु कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया जाने से हम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते 'वाद-पत्र अबेट किये जाने बाबत्' अन्तर्गत आदेश 22 नियम [illegible] सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना तथा वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों की जानबूझकर पालना नहीं करने से वाद वादीगण जरीये अबेटमेन्ट एवं अदम तकमील में खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम, 1963 दिनांक 16/12/2019 भली–भाँति साबित नहीं होने और सारहीन होने से तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता परिसीमा अधिनियम,1963 की अनुसूची के 'तृतीय खण्ड–आवेदन' के भाग एक– विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन में किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रीया संहिता, 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की विहित परिसीमा यथास्थिति वादी, अपीलार्थी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। इसके फलस्वरूप वादीगण का वादपत्र कानूनन उपशमित (अबेटमेन्ट) हो चुके होने से अप्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(3) सी.पी.सी. 'वाद पत्र अबेट किये जाने बाबत्' भली भाँति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार जाकर वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के निदेर्शों की दीर्घ समय तक जानबुझकर अदम तकमील करने से वाद वादीगण जरीये अबेटमेन्ट एवं सम्पूर्ण वाद अदम तकमील में खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 06/01/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमति मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०

–:: वादीगण ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण::–

वादीगण:

1. सायरी पुत्री पूसाराम पत्नी बींजाराम जाति–मेघवाल निवासी– बलूपूरा तहसील जैतारण जिला–पाली।
2. गजराई पुत्री पूसाराम पत्नी भंवरूराम जाति– मेघवाल निवासी– रूपनगर तहसील जैतारण जिला–पाली।

प्रतिवादीगण:

1. छोटूराम पुत्र मोहनराम
2. केलकीदेवी बेवा नारायण जातियान– मेघवाल, निवासी– राबडियावास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
3. तहसीलदार जैतारण जिला–पाली।
4. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला–पाली।

मु०न० :रा०वा० स०: 119/2019 (61/2014)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री नितेश चौहान अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम, 1963 दिनांक 16/12/2019 भली–भाँति साबित नहीं होने और सारहीन होने से तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता परिसीमा अधिनियम,1963 की अनुसूची के 'तृतीय खण्ड–आवेदन' के भाग एक– विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन में किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रीया संहिता, 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की विहित परिसीमा यथास्थिति वादी, अपीलार्थी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। इसके फलस्वरूप वादीगण का वादपत्र कानूनन उपशमित (अबेटमेन्ट) हो चुके होने से अप्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(3) सी.पी.सी. 'वाद पत्र अबेट किये जाने बाबत्' भली भाँति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार जाकर वादीगण का वाद जरीये अबेटमेन्ट एवं सम्पूर्ण वाद अदम तकमील में खारिज/अस्वीकार किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर निर्णय का भाग होगा। पत्रावली [illegible] निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **06/01/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	7.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वकालतनामा	6.00	स्टाम्प अर्जी	3.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	15.00	मिजानः–	5.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:28 IST
Reason: SelfAttested